न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2024 (GCMS 2024/150)
(आरटीआई संख्या 212735260777251)

श्री जय प्रकाश हरवानी, जे–157 पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाईपास रोड़, जोधपुर– 342013

बनाम

लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी जिला पुर्नवास एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयप्रकाश स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी जिला पुर्नवास एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जयप्राकश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. प्रार्थीया श्रीमती ठाकी बाई माधवदास साकिन जोधपुर जिसकी सनद सं. 6687 दिनांक 22.05.1969 की मूल पत्रावली अति. प्रशासनिक अधिकारी, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ने दिनांक 03.11.2017 से 31.05.2018की अवधि में आपके विभाग को भेजना दर्शाया है। अतः आपके विभाग को जिस दिवस को यह प्राप्त हुई थी उस दिवस की सूचना मय प्रमाण दें।
2. उक्त मूल पत्रावली जिस दिवस को प्राप्त कर पत्र पावक रजिस्टर में इसे दर्ज किया गया होगा, उसकी प्रति मय प्रमाण दे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. आपके विभाग में जिस दिवस को यह मूल पत्रावली प्राप्त हुई थी, उस दिवस से आगामी जितने दिवस तक यह पत्रावली आपके विभाग में रही थी, उसकी सूचना मय प्रमाण दें।
4. आपके द्वारा दिनांक 03.11.2017 के पश्चात एवं दिनांक 31.05.2018 के पूर्व उक्त मूल पत्रावली को अन्य किसी विभाग, जिले में भेजने सम्बन्धित सूचना मय प्रमाण दे।
5. उक्त मूल पत्रावली उक्त अवधि में आगे किसी विभाग को भेजने सम्बन्धी आदेश नियम एवं आवश्यक सूचना मय प्रमाण दें।
6. अति. प्रशासनिक अधिकारी उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा यह लिखकर पत्रावली वापिस भिजवाई है कि सहवन से प्राप्त मूल जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित है। यहां पर सहवन से प्राप्त अर्थात जिससे उन्हें मूल पत्रावली प्राप्त हुई है, उसकी सूचना मय प्रमाण दें।
7. दिनांक 03.11.2017 से 31.05.2018 की अवधि में प्रार्थिया की मूल पत्रावली आपके पास जितने दिवस तक रही थी, उसकी सूचना मय प्रमाण दे।
8. उक्त अवधि में मूल पत्रावली पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना मय प्रमाण दे।
9. संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर द्वारा बैठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 को प्रार्थीया श्रीमती ठाकीबाई के प्रकरण का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(27) पुर्न/64 दिनांक 05.02.1979 के तहत करना बताया है। उक्त निर्देश की प्रति मांगने पर अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी के प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रकरण का निस्तारण कार्यालय जिला पुर्न. अधिकारी, श्रीगंगानगर के आवंटन आदेश [illegible] दिनांक [illegible] में अंकित तथ्यों के आधार पर होना सम्भव प्रतीत होता है। [illegible] द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश [illegible] किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(27)पुर्न./64 दिनांक 05.02.1979 की प्रति मय प्रमाण दे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2024 / 433 दिनांक 22.05.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

बिन्दु संख्या	**चाही गई सूचना**	**प्रत्युत्तर**
1	प्रार्थीया श्रीमती ठाकी बाई माधवदास साकिन जोधपुर जिसकी सनद सं. 6687 दिनांक 22.05.1969 की मूल पत्रावली अति. प्रशासनिक अधिकारी, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ने दिनांक 03.11.2017 से 31.05. 2018की अवधि में आपके विभाग को भेजना दर्शाया है। अतः आपके विभाग को किस दिवस को यह प्राप्त हुई थी उस दिवस की सूचना मय प्रमाण दे।	बिन्दु संख्या 1 से 8 के सम्बन्ध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वहीं देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यो को खोजकर नागरिक को ऐसे तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत ऐसी सूचना जिसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनो का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है अतः ऐसी सूचना दिया जाना संभव नहीं है। फिर भी लोक सूचना की भावना के मध्यनजर दिनांक 03.11.2017 से 31.05. 2018 तक की आवक रजिस्टर की प्रतिया (कुल पेज 162), [illegible] रूपये कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।
2	उक्त मूल पत्रावली जिस दिवस को प्राप्त कर पत्र पावक पुस्तिका में इसे दर्ज किया गया होगा, उसकी प्रति मय प्रमाण दे।	
3	आपके विभाग में जिस दिवस को यह मूल पत्रावली प्राप्त हुई थी, उस दिवस से आगामी जितने दिवस तक यह पत्रावली आपके विभाग में रही थी, उसकी सूचना मय प्रमाण दें।	
4	आपके द्वारा दिनांक 03.11.2[illegible] के पश्चात एवं दिनांक 31.05. 2018 के पूर्व उक्त मूल पत्रावली को अन्य किसी विभाग, जिले में भेजन सम्बन्धित सूचना मय प्रमाण दे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5	उक्त मूल पत्रावली उक्त अवधि में आगे किसी विभाग को भेजने सम्बन्धी आदेश नियम एवं आवश्यक सूचना मय प्रमाण दें।	
6	अति. प्रशासनिक अधिकारी उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा यह लिखकर पत्रावली वापिस भिजवाई है कि सहवन से प्राप्त मूल जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित है। यहा पर सहवन से प्राप्त अर्थात जिससे उन्हें मूल पत्रावली प्राप्त हुई है, उसकी सूचना मय प्रमाण दें।	
7	दिनांक 03.11.2017 से 31.05.2018 की अवधि में प्रार्थिया की मूल पत्रावली आपके पास जितने दिवस तक रही थी, उसकी सूचना मय प्रमाण दे।	
8	उक्त अवधि में मूल पत्रावली पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना मय प्रमाण दे।	
9	संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर द्वारा बैठक कार्यवाही दिनांक 13.05.2019 को प्रार्थीया श्रीमती ठाकीबाई के प्रकरण का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(27)पुर्न/64 दिनांक 05. 02.1979 के तहत करना बताया है। उक्त निर्देश की प्रति मांगने पर अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी के प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रकरण का निस्तारण कार्यालय जिला पुर्न. अधिकारी, श्रीगंगानगर के आवंटन आदेश 922 दिनांक 17.08.1993 में अंकित तथ्यों के आधार पर होना सम्भव प्रतीत होता है। आप द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 05.02.1979 के तहत किया गया है। अतः राज्य सरकार [illegible] जारी निर्देश एफ2(27)पुर्न/64 [illegible] 05.02.1979 की प्रति [illegible]	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(27)पुर्न/64 दिनांक 05. 02.1979 की प्रति के सम्बन्ध मे पूर्व में भी सूचना चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक पुर्नवास/2020/75 दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रति उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा आपकी प्रथम संख्या 70/2020 को उनके निर्णय दिनांक 27.11. 2020 द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसी क्रम में आपकी द्वितीय अपील संख्या CIC/ SGNG/A/2020/109711 को श्रीमान् सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने [illegible] दिनांक 28.03.2023 द्वारा [illegible] किया जा चुका है।

-sd-

उपखण्ड [illegible]धिकारी, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 811 दिनांक 07.08.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत आवेदक द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 व 9 का जवाब इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2024/433 दिनांक 22.05.2024 द्वारा रजि. डाक से प्रेषित कर दिया गया है। जिसकी चित्र प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भरी उक्त पत्रावली से सम्बन्धित सूचना हेतु आरटीआई के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी। जिन्हें माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा निरस्त/खारिज की जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न है।) अतः श्रीमानजी अपील को निरस्त कर दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> (जीतू कुलहरी)
> लोक सूचना अधिकारी
> एवं उपखण्ड अधिकारी
> श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेंषित किया है, जिसके अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 09 का जवाब पूर्व में दिया जा चुका है और जिसके सम्बन्ध में माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या CIC/ SGNG/A/2020/109/1 ... निरस्त की जा चुकी है और बिन्दु संख्या 1 से 08 की सूचना राजकोष में राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड, अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर